हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग (बी)

डब्ल्यूएलएफ–बी(2)–1/2002–वैल–II दिनांक शिमला–.02 23 मार्च 2013

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल , भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश निदेशालय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक मामले में विभाग के उप निदेशक, अनुसूचित जाति उप योजना वर्ग – I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना के सलंग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती एंव प्रोन्नति नियम बनाती है अर्थातः

संक्षिप्त नाम और आरम्भ 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक मामले उप निदेशक, अनुसूचित जाति उप योजना, वर्ग – I (राजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम, 2013 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवत्त होगें ।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

अनुबन्ध ''क''

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, हि0 प्र0 में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक मामले निदेशालय में उप निदेशक, (अनुसूचित जाति उप योजना) वर्ग– I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1	पद का नाम	:	उप निदेशक, (अनुसूचित जाति उप योजना)
2	पदों की संख्या	:	1 (एक)
3	वर्गीकरण	:	वर्ग– I (राजपत्रित)
4	वेतनमान	:	15600रू0 –39100 रू0 + 6600 रू0 ग्रेड पे0
5	चयन अथवा अचयन	:	चयन ।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु	:	लागू नहीं ।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों/ स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से

आमेलित किए गए है / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमे पद (पदों) को आवेदन आमंत्रि करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुआर्हित अभ्यर्थियों कि दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः		**क) अनिवार्य अर्हताः** **(क) लागू नहीं** **(ख) वांछनीय अर्हताः** **लागू नहीं ।**
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दक्षा में लागू होगी या नहींः	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	:	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता	:	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगाः	:	अनुसंधान अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अनुसंधान

अधिकारितयों में से प्रोन्नति द्वारा जिन का अनुसंधान अधिकारी और सहायक अनुसंधान अधिकारी के रूप में सयुंक्ततः पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अनुसंधान अधिकारी के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मलित होगी । परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिये पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को, जिन्होने जन जातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–। : उपयुर्क्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये जन जातीय / दुर्गम क्षेत्रें में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओ और कर्मचारी द्धारा किये गये कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रें में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण–।। : उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जन जातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगेः–

- जिला लाहौल एंव स्पिति ।
- चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।

- रोहडू उप मण्डल का डोडरा–क्वार क्षेत्र।
- जिला शिमला की रामपूर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
- कुल्लु जिला का पन्द्रह बीस परगना।
- कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र।
- जिला किन्नौर ।
- सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत , रेणुकाजी तहसी के भलाड–भलौना तथा सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।
- मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगडा पटवार वृत बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगढ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार वृत , थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच–बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत।

  (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी ।

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने– अपने प्रवर्ग/पद/ काडर में उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाऐगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचारा किया जाना है कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएगे।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो।

		(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक पदपर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनूसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चाल जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं	लागू नहीं ।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	लागू नहीं ।
16	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातीयों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा	सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18	शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना

आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।